SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं०–05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)–02/2022- 16 (अ10) /आ०प्र०, राँची दिनांक– 09.06.22

प्रेषक,

अमिताभ कौशल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय – मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से कुल राशि 43,00,000/– (तैंतालीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–39(स्वी०) दिनांक–09.06.2022

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–245/बजट, दिनांक–30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

क्र० सं०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रु० में)
1	मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत उप शीर्ष–04–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान 49–आर्थिक सहायता विपत्र कोड–39–S-2245–02–101–04–00–06–49	43,00,000/–
	कुल राशि	**43,00,000/– (तैंतालीस लाख) रुपये मात्र।**

2. मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक–10.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के निर्णय–3 **"भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति एवं होने वाली क्षति के संदर्भ में कतिपय जिलों से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए जिलों को राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष में उपबंधित राशि से अनुमानित राशि उपलब्ध कराने पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने मदवार राशि स्वीकृत करने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई" :–**

(V) प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड सहित) से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन हेतु जिलों को आवंटित राशि की विवरणी :–

आ०सं०–05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)–02/2022-16(आ०)/आ०प्र०, राँची दिनांक–09.06.22

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रु० में)
1	*2*	*3*
1	राँची	1,00,000
2	गुमला	1,00,000
3	सिमडेगा	1,00,000
4	लोहरदगा	1,00,000
5	खूँटी	1,00,000
6	हजारीबाग	2,00,000
7	रामगढ़	1,00,000
8	चतरा	1,00,000
9	कोडरमा	1,00,000
10	गिरिडीह	2,00,000
11	धनबाद	2,00,000
12	बोकारो	2,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	5,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	1,00,000
15	सरायकेला–खरसावाँ	4,00,000
16	पलामू	2,00,000
17	गढ़वा	2,00,000
18	लातेहार	1,00,000
19	दुमका	2,00,000
20	जामताड़ा	1,00,000
21	देवघर	1,00,000
22	गोड्डा	2,00,000
23	साहेबगंज	5,00,000
24	पाकुड़	1,00,000
	कुल योग	**43,00,000**

3. उक्त आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा (सुखाड़ को छोड़कर) से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक– 32-07/2014-NDM-I दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

4. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक–09.04.2020 द्वारा पूर्व के राज्य आपदा मोचन निधि हेतु पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक–08.04.2015 से निर्गत Items & Norms of assistance की वैधता बढ़ा दी गई है।

आ०सं०–05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)–02/2022-......16(अ०)......./आ०प्र०, राँची दिनांक–09.06.22

5. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-05/2015-NDM-I, दिनांक–30.07.2015 में अंकित प्राकृतिक आपदा–Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार स्वीकृत की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित राशि का उपयोग "यास चक्रवात, 2021", सुखाड़ एवं अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से हुए क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारीहोंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

8. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद–मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

9. अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. संबंधित उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।

11. उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन का पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

13. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक–604 दिनांक–18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०–5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2023 के पूर्व ऑन–लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

14. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–06/2015–NDM-I, दिनांक–06.05.2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

15. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19–A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

16. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

17. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जाय।

20. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।

21. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

9/6/2022

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-**05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-**16 (आ०)**/आ०प्र०, राँची दिनांक-**09.06.2022

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के उप सचिव/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-09 (बजट प्रशाखा) एवं प्रशाखा-12 (सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशाखा), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2022

सरकार के सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28231	RNCDAD034 KEWAL KRISHNA AGRAWAL NAJARAT DEPUTY COLLECTOR. 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
2	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28232	GMLDAD009 SIDDHARTH SHANKAR CHAUDHRY N. D. C. GUMLA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
3	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28234	SDGDAD014 MRS R.RONITA DY.COMMISSIONER, SIMDEGA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: रुपये तीन लाख 300,000.00

क्रमिक योग:

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं. - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28236	LDGDAD030 SHRI WAGHMARE PRASAD KRISHNA DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
5	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28237	KHNDADK01 SHASHI RANJAN D.C.KHUNTI 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
6	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28238	HZBDAD055 ADITYA KUMAR ANAND DY.COMMISSINOR HZB 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: 400,000.00

रुपये सात लाख

क्रमिक योग: 700,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं. / - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28239	RGHDAD059 SRI SOURABH PRASAD NDC RAMGARH 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
8	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28240	CTRDAD003 ANJALI YADAV D.C. CHATRA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
9	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28241	KDMDADA12 ADITYA RANJAN D.C. KODERMA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: रुपये दस लाख 300,000.00

क्रमिक योग: 1,000,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28242	GRDDAD026 SHRI NAMAN PRIYESH LAKRA (IAS) DY. COMMISSIONER GIRIDIH 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
11	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28243	DHNDAD023 SANDEEP SINGH DY.COMMISSIONER DHANBAD 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
12	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28244	BKRLDR014 SADAT ANWAR ADDITIONAL COLLECTOR, BOKARO 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: 600,000.00

क्रमिक योग: रुपये सोलह लाख 1,600,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं० - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28245	JSRDAD001 ABHISHEK KUMAR ESTT.DY.COLL.EAST SINGHBHUM 49 - आर्थिक सहायता	500,000.00 रुपये पाँच लाख
14	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28246	SGHDAD013 JAYANT RANJAN ASST.NAZARAT DEPUTY COLLECTOR 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
15	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28247	SKLDAD013 DHANBIR LAKRA DY. COLLECTOR NAZARAT SKL 49 - आर्थिक सहायता	400,000.00 रुपये चार लाख

योग: 1,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये छब्बीस लाख 2,600,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं - 002/2022/16(AA)   दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28248	PLMDAD002 SAILESH KUMAR SINGH N.D.C.PLM 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
17	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28249	GRHLDR003 PANKAJ KUMAR SINGH A.C.GARHWA 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
18	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28251	LTRDAD002 ALOK SHIKARI KACHHAP A.C. LATEHAR 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 500,000.00

क्रमिक योग: रुपये इकतीस लाख 3,100,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं :- 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28252	DMKDAD011 RAVI SHANKAR SHUKLA DEPUTY COMMISSIONER,DUMKA 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
20	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28254	JMTDAD006 ABHISHEK SHRIVASTAVA I/C.A.C. JAMTARA 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख
21	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28255	DGRLDRA39 CHANDRA BHUSHAN SINGH ADDL. COLLECTOR DEOGHAR 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 400,000.00

रुपये पैंतीस लाख

क्रमिक योग: 3,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

पत्र सं - 002/2022/16(AA) दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28257	GDDDAD020 BHOR SINGH YADAV DY. COMMISSIONOR, GODDA 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख
23	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28258	SBJLDR004 VINAY KUMAR MISHRA ADDL.COLL.SAHIBGANJ 49 - आर्थिक सहायता	500,000.00 रुपये पाँच लाख
24	S 39 22450210104000649 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28259	PKRDADA07 VARUN RANJAN DEPUTY COMMISSIONER PAKUR 49 - आर्थिक सहायता	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 800,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीरयालीस लाख 4,300,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

 117.214.54.243 Run Date: 9/6/2022